राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन न: 0141–2228060–61, फैक्स न: 0141–2228065 ई–मेल : edf-rmsc-rj@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : www.rmsc.nic.in

क्रमांक : एफ. 03( )/आरएमएससी/वित्त/2014–15/9421 दिनांक : 4/1/2016

कार्यालय आदेश

विषयः–औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के अन्तर जिला औषधि भण्डार गृह हस्तानान्तरण/परिवहन (Inter DDW Transfer) हेतु दिशा–निर्देश जारी करने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वर्तमान में औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि का अन्तर जिला औषधि भण्डार गृह हस्तानान्तरण/परिवहन (Inter DDW Transfer) कार्य अनुमोदित फर्म द्वारा किया जा रहा है, के क्रम में भविष्य में (जनवरी, 2016) निम्न प्रक्रियानुसार अन्तर जिला औषधि भण्डार गृह हस्तानान्तरण/परिवहन कार्य किया जाएगा :–

1. सप्लाई शाखा द्वारा अन्तर जिला औषधि स्थानान्तरण हेतु आदेश जारी किया जाएगा जिसकी प्रति Transferer/Transferee DDW एवं अनुमोदित परिवहन कर्ता फर्म को दी जाएगी।
2. अनुमोदित परिवहन फर्म द्वारा औषधि का स्थानान्तरण कर बिल्टी पर संबंधित DDW से प्राप्ति रसीद प्राप्त की जाएगी।
3. परिवहन कर्ता फर्म द्वारा परिवहन व्यय के बिल में औषधि स्थानान्तरण के आदेश का क्रमांक, दिनांक, औषधि का नाम, मात्रा, कार्टून की संख्या, दर एंव राशि का उल्लेख करते हुए बिल के साथ आदेश की प्रति एवं बिल्टी की प्रति जिस पर प्राप्ति रसीद अंकित की गई है को संलग्न करते हुए निगम मुख्यालय को बिल प्रस्तुत किया जाएगा।
4. सप्लाई शाखा द्वारा परिवहन व्यय के बिलों को उनके साथ संलग्न स्थानान्तरण आदेश की प्रति के आधार पर प्रमाणित किया जाएगा, तत्पश्चात् वित्त शाखा द्वारा भुगतान स्वीकृति जारी की जाएगी।

(ओम प्रकाश कसेरा)आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर, राजस्थान।
2. कार्यकारी निदेशक (गु.नि.) आरएमएससी, जयपुर, राजस्थान।
3. प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह (समस्त), राजस्थान को भेजकर लेख है कि जिला औषधि भण्डार गृह से अन्य जिला औषधि भण्डर गृहों को हस्तांतरित की जाने वाली औषधियों के आदेश की प्रति परिवहनकर्ता फर्म को देना सुनिश्चित करें तथा कार्टून में पैक की जाने वाली औषधियों के नाम एवं मात्रा कार्टून पर अंकित करना भी सुनिश्चित करें।
4. मैसर्स बत्रा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, जयपुर को भेजकर लेख है कि जिला औषधि भण्डार गृह से अन्य जिला औषधि भण्डर गृहों में स्थानान्तरण करने वाली औषधियों के नाम एवं मात्रा कार्टून पर अंकित है या नही देखना भी सुनिश्चित करें।
5. रक्षित पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (वित्त)